न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर०ए०एस०)

राजस्व वाद संख्या– 16/2019
1– रामचन्द्र पुत्र दुलछीराम जाति जाट निवासी जायल जिला नागौर।

—————वादी

बनाम

1– हरिराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी जायल।
2– श्रीनिवास
3– गणेश
4–देवेन्द्र पुत्रगण चैनसुख जातियान महाजन निवासी जायल जिला नागौर।
5– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

——— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1– अधिवक्ता श्री हनुमानराम मण्डा वादी की ओर से।
2– अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका प्रतिवादी सं. 01 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :28.08.19

1. वादी वादी का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी का पुश्तेनी खेत मौजा जायल खेत खसरा नं. 771 रकबा 11.15 बिस्वा आया हुआ है जिस पर वक्त सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादी व वादी के पूर्वजों का कब्जा व काश्त रहता चला आया है। परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों की गलती से बिना कब्जा व बिना मौका देखे ही गलत तरीके से चैनसुख महाजन के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया जबकि सम्वत् 2010 से 2013 व 2014 से 2019 में वादी के दादा बाबा के नाम गिरदावरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तथा इस खेत पर पहले वादी के पूर्वज दादा व बाबा का कब्जा व काश्त था तथा सम्वत् 2006 के पर्चा लगान में खातेदारी में रामनाथ वल्द मेहराम कौम जाट के खातेदारी में दर्ज है। तथा सम्वत् 2010 से 2013 की खातेदारी मे रामनाथ बेटो मयाराम दर्ज है जिससे साफ स्पष्ट प्रमाणित है कि सम्वत् 2020 वक्त सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों ने वादी के दादा के नाम खातेदारी सम्वत् 2006 मे पर्चा लगान व सम्वत् 2010 से 2013 की खतोनी में खातेदार दर्ज होने के बावजूद बिना कब्जा देखे ही गलत तरीके से चैनसुख महाजन के नाम पर्चा लगान जारी कर दिया जबकि चैनसुख महाजन इस खेत को जानता तक नही था न ही आज जानता है इस खेत पर पहले वादी के दादा रामनाथ व इसके पश्चात् एकमात्र पुत्र हेमाराम व उनके पश्चात् उनके एकमात्र पुत्र रामचन्द्र का कब्जाकाश्त रहता चला आया है पारिवारिक सेटलमेंट में वादी के बाबा व वादी के पिता के बीच बंटवाडा होने से खेत खसरा नं. 771 रकबा 11.15 बीघा मौजा जायल वादी के हक बट में रखा गया।

2. यह है कि वादी ने अपने वाद पेश करने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 01 का ईकबाली जबाब वकील श्री गोविन्दराम ढाका के मार्फत पेश किया साथ ही प्रतिवादी सं. 02 से 04 का जबाब मय आधार कार्ड व सत्य प्रतिज्ञा लेख सौ रूपये के स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीकशुदा पेश किया तथा साथ ही वादी ने शपथ पत्र प्रतिवादी सं. 01 रामचन्द्र व पडोसी छोटूराम, नानूराम व हरिराम के पेश किये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

3. यह है कि वकील वादी की बहस सुनी गयी व पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा रेकर्ड का अलग से मनन किया गया। वादी रामचन्द्र का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से वादी

(एस.डी.ओ.)
...कलक्टर (एस.डी.ओ.) ...जिला नागौर

Scanned by CamScanner

रामचन्द्र का वाद स्वीकार डिक्री किया जाता है कि मौजा जायल का खेत खसरा नं. 771 रकबा 11.15 बिस्वा की खातेदारी घोषित की जाती है व डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलक्टर जायल
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner